



2026:AHC:22945

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या – 425 / 2026

राम सूरत

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 16 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शैलेन्द्र यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2/उप-संचालक चकबंदी अधिकारी, जौनपुर को यू.पी.सी.एच. एक्ट की धारा 48(1) के तहत लंबित पुनरीक्षण संख्या 1205/2025 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 202554143600001792 (राम सूरत बनाम जवाहर लाल व अन्य) को एक संक्षिप्त निश्चित समयावधि के भीतर यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया जाए, जो उप-संचालक चकबंदी जौनपुर के समक्ष लंबित है।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर उक्त मामले को शीघ्रता से तय करें।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

3 फरवरी, 2026

वी.आर.

(दिनेश पाठक, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"